

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.08.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2111 का उत्तर

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष

2111. श्री जी. सेल्वम:

कुंवर दानिश अली:

श्रीमती मंजुलता मंडल:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

श्री धनुष एम. कुमार:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा यात्री सुरक्षा के लिए बनाए गए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) विशेष निधि में प्रतिवर्ष कमी की जा रही है और यदि हां, तो आरआरएसके के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत और व्यय की गई है;
- (ख) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे ने आरआरएसके के लिए स्वीकृत धनराशि में से फुट मसाजर्स, क्रॉकरी, फर्नीचर, कार के किराये, लैपटॉप पर अत्यधिक व्यय किया और आरआरएसके के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता वाले कार्यों पर व्यय वर्ष 2017-18 में 2.76 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6.36 प्रतिशत हो गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे इस कोष के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का उपयोग करने में विफल रहा है और यहां तक कि स्वीकृत राशि भी वापस कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या इससे रेलवे में पूर्ण सुरक्षा को सहायता प्रदान करने के लिए आरआरएसके के सृजन का प्राथमिक उद्देश्य विफल हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

- (ड) क्या सरकार इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (च) रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (छ) उक्त विशेष निधि के माध्यम से रेलवे में अब तक किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के संबंध में 02.08.2023 को लोक सभा में श्री जी. सेल्वम, कुंवर दानिश अली, श्रीमती मंजुलता मंडल, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री धनुष एम. कुमार, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री सी.एन. अन्नादुरई, डॉ. सुभाष रामराव भामरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले के अतारांकित प्रश्न सं. 2111 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) को पांच वर्षों की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रु. के कोष के साथ आंकलित संरक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए वर्ष 2017-18 में सृजित किया गया था। इस निधि के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाएं रेलपथ नवीकरण, पुलों, सिगनल प्रणाली, चल स्टॉक और संरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण एवं सुविधाओं से संबंधित हैं। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के संबंध में वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के कार्यों का वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता और रेल राजस्वों/संसाधनों के द्वारा किया जाना है; जिसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से संसाधनों को जुटाना भी शामिल है। 2017-18 से 2021-22 तक आरआरएसके कार्यों पर 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष कार्य का सकल व्यय						
						(करोड़ रुपये में)
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	कुल
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2017-18 से 2021-22
यातायात सुविधाएं	654.02	498.23	370.78	523.49	476.93	2523.45
रेल अनुसंधान						
चल स्टॉक	1099.10	1637.28	1116.15	2969.73	2798.26	9620.52

समपार	535.99	678.60	570.25	544.92		2329.76
ऊपरी/निचले सड़क पुल	3175.23	3488.82	2334.15	4086.45	1736.18	14820.83
रेलपथ नवीनीकरण	8903.99	9697.31	8314.30	13509.49	16262.45	56687.54
पुल संबंधी कार्य	451.34	516.72	752.59	730.38	1286.13	3737.16
सिगनल और दूरसंचार कार्य	1201.01	1461.29	1536.60	1829.99	2058.25	8087.14
अन्य विद्युत कार्य	18.76	47.02	301.10	460.18	488.53	1315.59
कर्षण वितरण कार्य	331.48	302.77				634.25
मशीनरी और संयंत्र	127.10	179.82	162.94	226.33	349.48	1045.67
कारखाने उत्पादन इकाइयां	240.96	202.67	256.08	608.95	354.82	1663.48
यात्री सुविधाएं	462.55	795.09	870.12	1915.99	1176.02	5219.77
अन्य विनिर्दिष्ट कार्य		42.00	141.17	235.72	329.44	748.33
प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास	58.00	48.01	73.38	71.69	58.00	309.08
कुल	17259.53	19595.63	16799.61	27713.31	27374.49	108742.57

चालक जैसे संरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कर्मचारी रेलपथ और सिगनलों पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखते हैं। इसमें उनका खड़ा रहना शामिल है। अतः, कार्यावधि के बाद गुणवत्तापूर्ण विश्राम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर एडवांस मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी (कैमटेक) द्वारा

2013 में प्रस्तुत की गई तकनीकी रिपोर्ट में लोको पायलट/सहायक लोको पायलट को अगली ड्यूटी से पहले अच्छी तरह से आराम के लिए रनिंग रूम हेतु फुट मसाजर, योगा मैट, फिटनेस सुविधाएं, रसोई के बर्तन जैसी सुविधाओं की सिफारिश की गई थी। संरक्षा जनशक्ति के प्रशिक्षण के अलावा संरक्षा संबंधी रेलपथ प्रबंधन प्रणाली ऐप्लिकेशन के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर भी प्रदान किए गए थे। अतः, रनिंग रूम और प्रशिक्षण के उन्नयन से संबंधित निश्चित दिशा-निर्देशों के आधार पर गाड़ी चालन की संख्या से सीधे संबंधित था।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 'भारतीय रेल में गाड़ी का पटरी से उतरना' पर 2022 की अपनी कार्य निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 22 में पाया है कि आरआरएसके के लिए बुक किए गए कुछ खर्च गैर-प्राथमिकता वाली मदों में थे। रेलवे ने की गई कार्रवाई नोट में लेखापरीक्षा प्रेक्षण का उत्तर दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन खर्चों को रनिंग रूम सुविधाओं के संबंध में नीतिगत पत्रों और कैमटेक की तकनीकी रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। तदनुसार, कुछ रेलों पर संरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कर्मचारियों के लिए उपकरण और गियर पर आवश्यक व्यय आरआरएसके के मद में बुक किया गया है।

2. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था', राज्यों के विषय हैं और इस प्रकार, रेलों में अपराधों का निवारण, पता लगाना, पंजीकरण और जांच तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना आदि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जिसे वे अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों यथा, राजकीय रेलवे पुलिस(जीआरपी)/स्थानीय पुलिस के माध्यम से निभाती हैं। रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा मुहैया कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब) जीआरपी/स्थानीय पुलिस के प्रयासों में सहायता करती है।

अप्रिय घटनाओं में हताहतों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं -

- i. रेलवे ने व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से प्रवेश करने सहित अप्रिय घटनाओं के कारण होने वाली हताहतों को कम करने के कारणों का अध्ययन करने और इसके लिए विशिष्ट उपाय सुझाने हेतु सभी क्षेत्रीय रेलों में सुरक्षा, संरक्षा, सिगनल और इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों की एक अंतर-विभागीय 'संयुक्त समिति' का

- गठन किया है। तदनुसार, हताहतों की संख्या को कम करने के लिए अवसंरचना में सुधार लाने और सृजन करने के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
- ii. रेलवे स्टेशनों पर यात्री उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से नियमित घोषणाएं की जाती हैं जिसमें यात्रियों से फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का उपयोग करने और रेलवे पटरियों को पार करने से बचने का अनुरोध किया जाता है।
 - iii. रेल पटरियों को पार करने, गाड़ी के फुटबोर्ड/छतों पर यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने आदि में होने वाली हताहतों के बारे में यात्रियों को संवेदनशील बनाने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
 - iv. अनधिकृत रूप से प्रवेश करने, गाड़ियों के फुट बोर्ड, सीढ़ियों, छत पर यात्रा करने, चलती गाड़ियों में चढ़ने/उतरने के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े गए व्यक्तियों पर रेल अधिनियम, 1989 के संगत उपबंधों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।
 - v. अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के लिए संवेदनशील स्थानों पर रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया जाता है।
 - vi. अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित स्थानों पर चारदीवारी/बाड़ लगाई जाती है।
 - vii. यात्रियों को जागरूक करने के लिए विशिष्ट स्थानों पर चेतावनी संकेत बोर्ड लगाए गए हैं।
 - Viii. रेलपथ सहित रेल परिसरों में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 147 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
3. संरक्षा निष्पादन का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और भारतीय रेल ने गाड़ियों के परिचालनों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित उपाय किए हैं:-
- i. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) को वर्ष 2017-18 में पांच वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की निधि के साथ महत्वपूर्ण संरक्षा परिसंपत्तियों के

प्रतिस्थापन/नवीकरण/उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। 2017-18 से 2021-22 तक, आरआरएसके कार्यों पर 1.08 लाख करोड़ रुपये का सकल व्यय किया गया।

- ii. मानव विफलता के कारण दुर्घटना रोकने के लिए 31.05.2023 तक 6427 स्टेशनों पर प्वाइंटों और सिगनलों के केंद्रीकृत परिचालन वाले इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है।
- iii. समपार फाटकों पर संरक्षा बढ़ाने के लिए 31.05.2023 तक 11093 समपार फाटकों पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है।
- iv. संरक्षा बढ़ाने के लिए 31.05.2023 तक 6377 स्टेशनों पर विद्युत साधनों द्वारा रेलपथ अधिभोग के सत्यापन के लिए स्टेशनों की पूर्ण रेलपथ परिपथन की व्यवस्था की गई है।
- v. सिगनलिंग की संरक्षा से संबंधित मामलों जैसे अनिवार्य पत्राचार जांच, परिवर्तनीय कार्य प्रोटोकॉल, पूरे हो चुके कार्यों के नक्शों के संबंध में तैयारी आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- vi. प्रोटोकॉल के अनुसार एसएंडटी उपस्करों के लिए डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया है।
- vii. लोको पायलटों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए सभी रेल इंजनों में सतर्कता नियंत्रण उपकरण लगाए गए हैं।
- viii. मास्ट पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सिग्मा बोर्ड लगाए जाने की व्यवस्था है जो विद्युतीकृत क्षेत्रों में सिगनलों से दो ओएचई मास्ट के बीच पहले स्थित होता है ताकि कोहरे के मौसम के कारण दृश्यता कम होने पर क्रू को आगे के संकेत के बारे में चेतावनी दी जा सके।
- ix. कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में लोकोमोटिव पायलटों के लिए जीपीएस आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) की व्यवस्था की जा रही है जिससे लोको पायलट आने वाले स्थान चिहनों जैसे सिगनल, रेल फाटकों आदि की सटीक दूरी का पता लगा सकते हैं।
- x. प्राथमिक रेलपथ नवीकरण करते समय 60 किग्रा की आधुनिक रेलपथ संरचना, 90 अल्टीमेट टेन्सिल स्ट्रेंथ (यूटीएस) रेल, प्रीस्ट्रेसड कंक्रीट स्लीपर (पीएससी) लोचदार फास्टनिंग वाले सामान्य/चौड़ी सतह के स्लीपर, पीएससी स्लीपरों पर फैनशेड लेआउट टर्नआउट, गर्डर पुलों पर स्टील चैनल/एच-बीम स्लीपर्स का उपयोग किया जाता है।
- xi. मानव त्रुटियों को कम करने के लिए पीक्यूआरएस, टीआरटी, टी-28 जैसी रेलपथ मशीनों के प्रयोग के माध्यम से रेलपथ बिछाने की गतिविधियों का यंत्रीकरण।

- xii. संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलपथ नवीकरण की प्रगति बढ़ाने और ज्वाइंटों की वैल्डिंग से बचने के लिए 130 मीटर/260 मीटर लंबे पैनेलों की आपूर्ति को अधिकतम करना।
- xiii. लंबी पटरियां बिछाना, एल्यूमिनो थर्मिक वेल्डिंग के प्रयोग को न्यूनतम करना और रेलपथों के लिए बेहतर वैल्डिंग तकनीकों अर्थात् फ्लैश बट वेल्डिंग अपनाना।
- xiv. ओएमएस (दोलन निगरानी प्रणाली) और टीआरसी (रेलपथ रिकॉर्डिंग कारों) द्वारा रेलपथ भूमिति की निगरानी।
- xv. वेल्ड/रेल फ्रैक्चर का पता लगाने के लिए रेल पटरियों पर पेट्रोलिंग की जाती है।
- xvi. टर्नआउट नवीनीकरण कार्यों में थिक वेब स्विच और वेल्ड करने योग्य सीएमएस क्रॉसिंग का उपयोग।
- xvii. सुरक्षित पद्धतियों के प्रयोग हेतु कर्मचारियों की निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतराल पर निरीक्षण।
- xviii. युक्तिसंगत अनुरक्षण संबंधी आवश्यकता और इनपुट के इष्टतमीकरण से संबंधित निर्णय लेने के लिए ट्रैक डाटाबेस और डिजीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी रेलपथ परिसंपत्तियों की वेब आधारित ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को अपनाया गया है।
- xix. रेलपथ की संरक्षा से संबंधित मामलों अर्थात् एकीकृत ब्लॉक, कॉरिडोर ब्लॉक, कार्यक्षेत्र पर संरक्षा, मानसून संबंधी सावधानियों आदि पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- xx. गाड़ियों का सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने और देशभर में रेल दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रेल परिसंपत्तियों (सवारी डिब्बों एवं मालडिब्बों) का निवारक अनुरक्षण।
- xxi. पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन रेल डिब्बों के स्थान पर एलएचबी डिजाइन के रेल डिब्बे लगाए जा रहे हैं।
- xxii. जनवरी 2019 तक बड़ी लाइन (बीजी) मार्ग पर सभी मानवरहित समपारों (यूएमएलसी) को समाप्त कर दिया गया है।

- xxiii. पुलों का नियमित निरीक्षण करके रेल पुलों की संरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इन निरीक्षणों के दौरान स्थितियों के आकलन के आधार पर पुलों की मरम्मत/पुनर्स्थापना की जाती है।
- xxiv. भारतीय रेल ने सभी डिब्बों में यात्रियों की व्यापक सूचना के लिए सांविधिक “आग संबंधी सूचनाएं” लगाई है। सभी डिब्बों में आग संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को आग से बचने के लिए अनेक ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ के बारे में सूचित और सतर्क किया जा सके। इसमें डिब्बों के भीतर ज्वलनशील वस्तुएँ, विस्फोटकों को साथ न ले जाने, धूम्रपान न करने, जुर्माना आदि से संबंधित सूचनाएं शामिल हैं।
- xxv. उत्पादन इकाइयां नवनिर्मित पावर कारों और पैन्ट्री कारों में आग संसूचक एवं अवरोधन प्रणाली तथा नवनिर्मित डिब्बों में आग एवं धुआ संसूचक प्रणाली की व्यवस्था कर रही है। क्षेत्रीय रेलों द्वारा मौजूदा डिब्बों में चरणबद्ध तरीकों से प्रोग्रेसिव फिट्मेन्ट का कार्य भी चालू है।
- xxvi. कर्मचारियों की नियमित काउन्सलिंग की जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है।
- xxvii. रोलिंग ब्लॉक अवधारणा की शुरुआत की गई है जिसमें अनुरक्षण/मरम्मत/प्रतिस्थापन के कार्य को रोलिंग आधार पर 2 सप्ताह पहले से नियोजित किया जाता है और योजना के अनुसार निष्पादित किया जाता है।

हाल ही में संरक्षा से संबंधित कार्यों पर जोर दिया जा रहा है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	इकाई	वित्त वर्ष 2004-05 से 2013-14 के दौरान		वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान		2004-14 की अवधि के साथ 2014-23 की अवधि की
			10 वर्षों के लिए संचयी	औसत प्रति वर्ष	9 वर्षों के लिए संचयी	औसत प्रति वर्ष	

							तुलना
क.	रेलपथ अनुरक्षण						
1.	रेलपथ नवीकरण पर व्यय	करोड़ रुपये में।	47,018	4,702	91,809	10,201	2.2 गुना
2.	रेल नवीकरण प्राथमिक	टीकेएम	32,260	3,226	37,284	4,143	1.3 गुना
3.	उच्च गुणवत्ता पटरियों का उपयोग (60 किलोग्राम)	कि.मी	57,450	5,745	1,23,717	13,746	2.4 गुना
4.	लंबे रेल पैनल (260 मीटर)	कि.मी	9,917	992	68,233	7,581	7.7 गुना
5.	यूसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) रेल का परीक्षण	टीकेएम	20,19,630	2,01,963	26,52,291	2,94,699	1.5 गुना
6.	यूसएफडी (अल्ट्रा सोनिक फ्लॉ डिटेक्शन) वेल्ड्स का परीक्षण	अदद	79,43,940	7,94,394	1,73,06,046	19,22,894	2.4 गुना
7.	रेलपथ कि.मी. जोड़े गए	टीकेएम	14,985	1,499	25,871	2,875	1.9 गुना
8.	वेल्ड विफलताएं	अदद	2013-14 में: 3699		2022-23 में: 724		80% कमी
9.	पटरी में दरार	अदद	2013-14 में: 2548		2022-23 में: 531		79% कमी
10.	मोटे वेब स्विच	अदद	कुछ नहीं	कुछ नहीं	15,146	1,683	
11.	ट्रैक मशीनें	अदद	31.03.14 के अनुसार = 748		31.03.23 के अनुसार = 1548		2.1 गुना
ख.	समपार फाटक को समाप्त करना						
1.	मानव रहित समपार फाटकों का उन्मूलन	अदद	31.03.2014 के अनुसार: 8948		31.03.2023 के अनुसार: कुछ नहीं		100% कमी

			(31.01.19 तक सभी समाप्त)				
2.	मानवयुक्त समपार फाटकों को समाप्त करना	अदद	1,137	114	6,291	699	6.2 गुना
3.	ऊपरी सड़क पुल (अर्थात फलाईओवर)/निचले सड़क पुल (अर्थात अंडरपास) का निर्माण	अदद	4,148	415	10,867	1,207	2.9 गुना
4.	समपार समाप्त करने के कार्य पर व्यय	करोड़ रु.में	5,726	573	30,602	3,400	5.9 गुना
ग.	पुल का पुनर्स्थापन						
1.	पुल पुनर्स्थापन पर खर्च	करोड़ रु.में	3,919	392	6,380	709	1.8 गुना
घ.	सिग्नलिंग कार्य						
1.	इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग	स्टेशन	837	84	2,521	280	3.3 गुना
2.	स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग	कि.मी	1,486	148.6	1,915	212.8	1.4 गुना
3.	फॉग पास संरक्षा उपकरण	अदद	31.03.14 के अनुसार : 90		31.03.23 के अनुसार : 19,742		219 गुना
ड	चल स्टॉक						
1.	एलएचबी कोच का विनिर्माण	अदद	2,337	234	31,956	3,551	15.2 गुना
2.	सवारी डिब्बों में आग और धुंआ संसूचक प्रणाली का प्रावधान	सवारी डिब्बों की संख्या	0	0	12,711	1,412	

3.	पैट्री और पावर कारों में आग संसूचन और शमन प्रणाली का प्रावधान	सवारी डिब्बों की संख्या	0	0	2,635	293	
4.	गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बों में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था	सवारी डिब्बों की संख्या	0	0	39,819	4,424	
च	रेलवे निवेश के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस वित्त वर्ष 23-24: 2.4 लाख करोड़ रुपये)	करोड़ रु.में	1,56,739	15,674	8,25,967 (ब.अ 23-24 सहित)	82,597	5.3 गुना
छ.	संरक्षा संबंधी कार्यों पर व्यय	करोड़ रु.में	70,273	7,027	1,78,012 (ब.अ 23-24 सहित)	17,801	2.5 गुना
